

05/12/2024

पत्रावली केस (डि) वकील उमय प्रसू उभ
शुक्र 7R11 CPC पर मूल बाद में वदल
हुकी जाकर शुक्र 7R11 CPC खारिज
होकर मूल बाद खारिज किया जा हुका
है पत्रावली में अब कामे कार्यवाही
होयिबलीन है अतः शरणा पर पत्रावली
बाक आशायी विवेचना एतदुद्धारा
अंतियलीन होकर खारिज की जाती है
पत्रावली केसल शुमार होकर बाद
तकमील कार्रवाय कएलर है।

सहायक कलेक्टर
सांभर लेक (जयपुर)